

बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम और बिहार आकस्मिकता निधि नियमावली

## बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950

( 1950 का बिहार अधिनियम 19 )

बिहार राज्य में आकस्मिकता निधि की स्थापना और अनुरक्षण के उपबंध के लिए अधिनियम जबकि बिहार राज्य में बिहार राज्यपाल के व्ययन हेतु रखी जाने वाली आकस्मिक निधि की स्थापना और अनुरक्षण का उपबंध करना समीचीन है ताकि वे राज्य विधानमंडल द्वारा विधि अनुसार विनियोग के अधीन राज्य के अप्रत्याशित व्ययों को प्राधिकृत करने तक ऐसी निधि से उन व्ययों को पूरा करने के प्रयोजन से अग्रिम उपलब्ध कराने में सक्षम हो सके,

और जबकि भारत संविधान के अनुच्छेद 267 के खंड (2) के द्वारा राज्य विधानमंडल को कानूनन ऐसी निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है ;

एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :

### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :

1. इस अधिनियम को बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 कहा जा सकेगा।
2. इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

3. यह 1 अप्रैल, 1950 से प्रभावी होगा।
2. **निर्वचन**— इस अधिनियम में “निधि” से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन स्थापित बिहार आकस्मिकता निधि।
3. **बिहार आकस्मिकता निधि की स्थापना** — इस अधिनियम का आरंभ होने पर राज्य सरकार बिहार राज्य में और इसके लिए एक निधि स्थापित करेगी जिसे बिहार आकस्मिकता निधि कही जाएगी।
4. राज्य की संचित निधि से प्रत्याहरण और बिहार आकस्मिकता निधि में उसको जमा करना — इस अधिनियम का आरंभ होने पर राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से तीन सौ पचास करोड़ रूपए<sup>5</sup> का प्रत्याहरण करेगी और इस निधि में जमा कर देगी।
- 4 क. अस्थायी कॉर्पस — बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ की तिथि से शुरू करके हर वर्ष के 30 मार्च तक अगर आकस्मिकता निधि का स्थायी कॉर्पस 350 (तीन सौ पचास)

---

<sup>5</sup>बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 के जरिए संशोधन

---

## बिहार बजट मैनुअल

करोड़ रु. से अधिक बढ़ाना अपेक्षित हो, तो मंत्रिमंडल द्वारा उसे उस वर्ष के 30 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए अस्थायी रूप से उस वर्ष के व्यय बजट के अधिकतम 4 (चार) प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार बढ़ाई गई रकम का एक-तिहाई सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत और पुनर्वास उपयों के लिए प्रत्युक्त हो सकेगा।<sup>6</sup>

**5. वे प्रयोजन जिनके लिए बिहार आकस्मिकता निधि का उपयोग किया जा सकेगा** – राज्य विधान मंडल द्वारा विधि अनुसार किये गये विनियोगों के अन्तर्गत और ऐसी विधि के अमल में आने के तत्काल बाद से इस निधि को बिहार राज्यपाल के व्ययन हेतु रखा जाएगा जो इसे राज्य के अप्रत्याशित व्ययों को प्राधिकृत करने तक उनको पूरा करने के लिए समय-समय पर अग्रिम देने से इतर प्रयोजनों पर खर्च नहीं करेंगे; और उक्त प्रयोजनों के लिए राज्यपाल द्वारा अग्रिम की गई राशि के बराबर राशि को निधि में जमा हुआ माना जाएगा और इस प्रकार अंतरित राशि को निधि का अंग समझा जाएगा;

(परन्तु अगर किसी वित्तीय वर्ष में आकस्मिकता निधि से दिए गए अग्रिम को राज्य विधान मंडल द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में या अगले वित्तीय वर्ष में प्राधिकृत कर दिया जाता है और ऐसे प्राधिकरण की राशि निधि के स्थायी कॉर्पस से अधिक हो जाती है, तो स्थायी कॉर्पस से अधिक होने वाली रकम को राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाएगा न कि आकस्मिकता निधि में।)<sup>7</sup>

6. नियमावली बनाने की शक्ति – (I) अधिनियम के सारे या किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकेगी।

(II) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया हरेक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के हरेक सदन के समक्ष, जब वे सत्र में हों कुल 14 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्रों को मिलाकर हो सकती है और यदि उपर्युक्त सत्र या उपर्युक्त सत्रों की ठीक बाद वाले सत्रावसान से पहले दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो कि यह नियम नहीं बनाया जाय तो तत्पश्चात् नियम यथास्थिति उस उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किन्तु ऐसा कोई उपांतरण या निरसन इस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

---

6 वर्ष 2015 के अधिनियम 4 द्वारा समाविष्ट

7 वर्ष 1987 के अधिनियम 17 द्वारा समाविष्ट

---

## बिहार आकस्मिकता निधि नियमावली

(अधिसूचना संख्या 2803 – एफ, दिनांक 4 मार्च 1953 के साथ जारी)

बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 (1950 का 19) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. यह नियमावली बिहार आकस्मिकता निधि नियमावली कही जा सकेगी।
2. बिहार आकस्मिकता निधि को बिहार के राज्यपाल की ओर से बिहार सरकार के वित्त विभाग के सचिव द्वारा रखा जाएगा।
3. निधि से अग्रिम हेतु सारे आवेदन बिहार सरकार के वित्त विभाग के सचिव को दिए जाएंगे (इसका प्रपत्र **बी.एम. प्रपत्र 8** में दिया गया है)

आवेदन में निम्नलिखित चीजें दी जाएंगी :

- i. अंतर्ग्रस्त अतिरिक्त व्यय की संक्षिप्त विशिष्टियाँ,
- ii. वे परिस्थितियाँ जिनके कारण उपबंध को बजट में शामिल नहीं किया जा सका,
- iii. इसका स्थगन क्यों संभव नहीं है ;

iv. यथा स्थिति वर्ष या वर्ष के अंश हतु, प्रस्ताव की पूरी लागत के लिए निधि से लिए जाने वाले अग्रिम की अपेक्षित रकम, और

v. वह अनुदान या विनियोग जिसके तहत अनुपूरक उपबंध को अंततः प्राप्त करना होगा।

4. निधि से अग्रिम अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के मकसद से उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. अग्रिम स्वीकृति आदेश की एक प्रति वित्त विभाग द्वारा बिहार के महालेखाकार को अग्रसारित की जाएगी जिसमें रकम, अनुदान या विनियोग जिससे वह संबंधित हो, और उप – शिर्षो तथा जिस व्यय की पूरा करने के लिए वह दिया जाएगा उसके विनियोग की इकाइयों के संक्षिप्त विशिष्टियाँ वर्णित होंगी।

6(1) इस प्रकार वित्तपोषित सारे व्ययों के अनुपूरक अनुमानों को अग्रिम स्वीकृत होने के तत्काल बाद के पहले सत्र में राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जब तक कि वैसा अग्रिम उप-नियम (2) के उपबंध अनुसार आकस्मिक निधि में पुनः नहीं आ जाय। 8

टिप्पणी 1 – राज्य विधानमंडल को बिहार आकस्मिकता निधि से वित्तपोषित व्यय के अनुमान प्रस्तुत करते समय ऐसे अनुमान के साथ निम्नलिखित के संबंध में एक टिप्पणी संलग्न की जाएगी।

‘बिहार आकस्मिकता निधि से \_\_\_\_\_ रूपए \_\_\_\_\_ में अग्रिम दिए गए हैं और निधि की अदायगी को सक्षम बनाने के लिए उसमें समतुल्य ही रकम जमा करना अपेक्षित है।’

---

8 दिनांक 2-12-1996 को बिहार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. बी0टी0  
81167-7109 दिनांक 10-10-1967 द्वारा प्रतिस्थापित।

---

## बिहार बजट मैनुअल

टिप्पणी 2 – अगर वार्षिक वित्तीय विवरण में नहीं शामिल किसी नई सेवा पर होने वाले व्यय को प्राधिकृत विनियोग के अंदर की बचतों से अंशतः या पूर्णतः पूरा किया जा सकता हो, तो पूरी रकम निधि से अग्रिम के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी और प्रस्तुत किए गए अनुमान के साथ निम्नलिखित प्रपत्र में एक टिप्पणी संलग्न की जाएगी :

व्यय नई सेवा पर होना है जिसके लिए \_\_\_\_\_ रु. आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्रदान किए गए हैं और निधि की अदायगी को सक्षम बनाने के लिए उसमें समतुल्य रकम जमा करना अपेक्षित है।'

\_\_\_\_\_ रु./ उस रकम का एक अंश \_\_\_\_\_ रु.

अनुदान के अंदर से बचत के पुनर्विनियोग के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं और मात्र सांकेतिक मत अपेक्षित है/ शेष रकम \_\_\_\_\_ रु. मात्र के लिए अब मत अपेक्षित है।'

6(2) अनुपूरक विनियोग अधिनियम के माध्यम से राज्य विधानमंडल जैसे ही अतिरिक्त व्यय को अधिकृत कर दे, आकस्मिकता निधि द्वारा दिए गए अग्रिम या अग्रिमों को इस अधिनियम में किए गए विनियोग के संपूर्ण विस्तार के अनुरूप निधि में वापस कर दिया जाएगा, चाहे वे राज्य विधानमंडल के समक्ष अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करने के पहले व्यय को पूरा करने के लिए किए गए हों या प्रस्तुत करने के बाद।



6—क. अगर किसी भी मामले में आकस्मिकता निधि से नियम 5 के अनुसार अग्रिम स्वीकृत करने का आदेश जारी करने के बाद और नियम 6 के अनुसार कार्रवाई करने के पहले पाया जाता है कि स्वीकृत, अग्रिम पूर्णतः या अंशतः अप्रयुक्त रहेगी, तो स्वीकृति अधिकारी के पास यथास्थिति स्वीकृति को रद्द करने या उसे रूपांतरित करने के लिए आवेदन दिया जाएगा।

6 – ख. विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम में शामिल सेवा के उपबंध से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि से स्वीकृत होने वाले सारे अग्रिमों को आकस्मिकता निधि से अधिक व्यय के पूरा करने के लिए दिए गए अग्रिम सहित सेवा पर पूरे वर्ष के व्यय के संबंध में विनियोग अधिनियम के पारित होने के बाद यथाशीघ्र निधि में वापस कर दिया जाएगा।

7. अग्रिम को पुनःप्राप्त करने के आदेश की एक प्रति, जिसमें मूल अग्रिम देने वाले आदेश की संख्या और तिथि और नियम 6 में निर्दिष्ट अनुपूरक विनियोग अधिनियम उद्धृत होगा, वित्त विभाग द्वारा बिहार के महालेखाकार को और एक प्रति संबंधित विभाग को भेजी जाएगी।

8. निधि की लेनदेनों का लेखा वित्त विभाग द्वारा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र क में संधारित किया जाएगा।

**[प्रपत्र बी. एम. प्रपत्र 7 में प्रस्तुत है]**

9. बिहार आकस्मिकता निधि से दिए गए अग्रिमों को विरुद्ध किए गए वास्तविक व्यय को बिहार आकस्मिकता निधि से संबंधित लेखे में उतने ही विस्तार से दर्ज किया जाएगा जितने विस्तार से संचित निधि से भुगतान किए जाने पर दर्शाया गया होता।

---

---